

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या 287 / 2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
30.09.22	<p>अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 052207812683714 के प्रत्युतर में 01.06.2022 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा अपने प्रत्युतर में बताया गया कि हलका पटवारी द्वारा 16/12/20 के माध्यम से बताया कि पुलिस थाना बनाड़ के थाना प्रभारी को सीमांकन कर सीमाज्ञान बता दिया गया है, उक्त प्रत्युतर की प्रमाणित प्रतिलिपि से से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	